

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षण/व.मं.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1	परियोजना का नाम	करेगांव-गढ़ासिल्ली-विरगुडी मार्ग चौड़ीकरण
2	आवेदक/आवेदक का विभाग का नाम	कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी
3	गैर वनिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	मार्ग चौड़ीकरण हेतु
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला धमतरी
5	वन भूमि का विस्तृत विवरण	धमतरी
6	(क) सीमांकित संरक्षित वन (ख) आरक्षित वन	वनखंड कक्ष क्र. 10.380
7	योग :-	परियोजना स्थल करेगांव-गढ़ासिल्ली-विरगुडी
8	(ग) असीमांकित संरक्षित वन (घ) राजस्व वनक्षेत्र	464, 463, 451, 461, 450, 460, 446, 447
9	योग :-	437, 431, 429, 432, 413, 412, 415, 414
10	कुल योग :-	106, 129, 131
11	आवेदित वनक्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	25.147 हेक्टेयर
12	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	सात/सागीन/मिश्रित
13	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	साईट क्वालिटी III-IV
14	आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./ वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	घनत्व 0.4 से 0.6
15	क्या आवेदित क्षेत्र किसी क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, आदि) में भी अंकित करें।	प्रजाति सागीन, साल, साजा, बीजा, भिरा, हल्दू, मोयन, शीशम, मुण्डी, सलई, अन्य
16	क्या आवेदित क्षेत्र किसी क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, आदि) में भी अंकित करें।	कुल वृक्षों की संख्या 798 वृक्ष
17	क्या आवेदित क्षेत्र किसी क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, आदि) में भी अंकित करें।	सामान्य
18	क्या आवेदित क्षेत्र किसी क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, आदि) में भी अंकित करें।	उक्त प्रस्ताव मुख्य मार्ग है, जिसे चौड़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है।
19	क्या आवेदित क्षेत्र किसी क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, आदि) में भी अंकित करें।	यथा आवेदित क्षेत्र किसी क्षेत्र की सीमा के 5 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत वाटर बाडी उपलब्ध विवरण निम्नानुसार है :-

	गायस्पेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील / गाटर बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 5 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां तो सक्षित विवरण प्रतिवेदित करें।	गाटर बाड़ी का विवरण	
		नाम	जल भराव क्षमता (मि.घन.मी.)
		क्र. 1 गोरसानाला जलाशय	0.3364
		क्र. 2 बटनहर्षा जलाशय	0.2247
		क्र. 3 गौदलानाला जलाशय	0.7024
		क्र. 4 बटनहर्षा जलाशय	0.3748
		क्र. 5 प्राकृतिक जल रिसाव कक्ष क्र. 129 20°32'18.29" 81°44'18.38"	--
11	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेषकर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वन क्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष / भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या	नहीं है।	
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां तो सक्षिप्त विवरण दें।	नहीं।	

प्रमाण-पत्र

उपरोक्त जानकारी / विवरण मेरे द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन (करेगांव-गट्टासिल्ली-बिरगुड़ी मार्ग चौड़ीकरण) हेतु दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :- 10/07/2018

स्थान :- धमतरी


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमंडल धमतरी